



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

'पिकप भवन' तृतीय तल, बी-ब्लॉक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

संदर्भ संख्या

11885

सी-१/एन/एन.ओ.सा./१२४/०७/०८

दिनांक ०६/२/२०१८

सेवा में,

मेरे

श्रीमान राजेश

यूनिटेक कंस्ट्रक्शंस,

व. अमरनिंदी सेक्टर, अकेत, न्यू दिल्ली-११०००६

विषय : पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से / नई इकाई की स्थापना हेतु / कार्यरत इकाई की उत्पादन क्षमता में
विस्तार / संयंत्रों के नवीनीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनांक २२.५.२००६ का संदर्भ लें। आपके आवेदन पर
विचार किया गया है तथा कृपया अवगत हो कि उद्योग को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित
विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों (संलग्नक) के समुचित अनुपालन के साथ सशर्त अनापत्ति स्वीकृत की जाती है।

१. अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिए ही निर्गत किया जा रहा है :-

(क)

स्थल

प्लॉट नं.-८, सेक्टर-५, आई.-०२, एलिस्टोनिया स्टेट,

ग्रेटर नोएडा, उ.प्र.

(ख)

उत्पादन

आवासीय भवन-संरचना/चिपकाल/अपार्टमेंट/मेडिकल कॉलेज आदि

multistoreyed Group house only

(ग) मुख्य कच्चे माल

सेण्ड, सायेन्ट, ब्रिक्स, आर.सा.सा. पी.वा.सी. पाईप, स्टील्स, लार्दा गवि

(घ) औद्योगिक उत्प्रेषण की मात्रा

शून्य

(ङ) प्रयुक्त ईंधन

डीजोसेट, ११५०० देवीए

उपर्युक्त विषय वस्तु में किराी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

2. उद्योग में सभी आवश्यक यंत्र, संयंत्र, हरित पट्टिका, उत्प्रेषण शुद्धिकरण संयंत्र तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना में की गयी प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रत्येक माह की दसवीं तारीख तक निरंतर प्रेषित करें।

3. उद्योग इकाई में परीक्षण उत्पादन जब तक प्रारम्भ नहीं करें जब तक कि वह बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत सहमति प्राप्त न कर लें। जल एवं वायु सहमति प्राप्त करने हेतु इकाई ने उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम 2 माह पहले निर्धारित सहमति आवेदन पत्रों को उत्पादन पूर्व प्रथम आवेदन का उत्सर्जन करते हुए इस कार्यालय में अवश्य ही जमा कर दिया जाए। यदि उद्योग उपरोक्त का अनुपालन नहीं करता है तो उक्त अधिनियमों के वैधानिक प्राविधानों के अन्तर्गत उद्योग के विरुद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के गिरफ्तार कार्यवाही की जा सकती है।

4. उद्योग में परीक्षण उत्पादन के पूर्व हमारे बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इकाई का निरीक्षण सुनियोजित किया जाए।

5. घरेलू उत्प्रवाह, जिसकी मात्रा से अधिक नहीं होगी। संप्रेषक टैंक एवं सोक पिट के माध्यम से बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप शुद्धिकृत कर निस्तारित किया जाए।
6. प्रदूषण नियन्त्रण हेतु प्रस्तावित शुद्धिकरण संयंत्र तथा निर्माण कार्य आपूर्ति के लिये दिये गए आदेश की प्रति इस कार्यालय में दिनांक तक अवश्य प्रस्तुत की जाए।

७. मै. यूनिटेक होरिजन प्लॉट-८, सेक्टर-पी.आई.-०२, एलिस्टोर्निया स्टेट, ग्रेटर नोएडा में केवल आवासीय भवनों का निर्माण किया जाये। इस हेतु प्रस्तावानुसार कुल क्षेत्र एवं बिल्टअप क्षेत्रफल से अधिक नहीं होगा।

८. उद्योग प्रस्तावानुसार एसटीपी का निर्माण डिज़ाइनफ़ेक्शन यूनिट के साथ सीवेज जनित होने के पूर्व करें तथा यथासम्भव शुद्धिकृत उत्प्रवाह का प्रस्तावानुसार प्राइवेट एवं ग्राइनिंग हेतु प्रयोग करें।

९. उद्योग शुद्धिकरण व्यवस्थाओं हेतु अलग से डीजीसेट स्थापित करें तथा उक्त हेतु अलग से विद्युत मीटर स्थापित करें।

१०. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्रस्तावानुसार किया जाये तथा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए वर्मीकल्चर किया जाये।

११. समस्त प्रस्तावित डीजीसेट पर ध्वनि रोधक व्यवस्थाओं के साथ-साथ बोर्ड मानकों के अनुसार पर्याप्त कैंची ली चिमनी भी स्थापित की जाये।

१२. उद्योग प्रस्तावानुसार रेन वाटर हावैस्टिंग व्यवस्था स्थापित करें।

१३. उद्योग नियमानुसार कम से कम ३३ प्रतिशत कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल का हरित पट्टिका के रूप में विकसित करें।

१४. उद्योग पर्यावरण अधिप्रभाव मूल्यांकन २००६ संबंधी अधिसूचना दिनांक-१४.१.०६ के अन्तर्गत संबंधित से क्लॉयरेन्स प्राप्त कर ही निर्माण कार्य प्रारम्भ करें। यह अनापत्ति प्रमाण पत्र जल अधिनियम, १९७४ एवं वायु अधिनियम, १९८६ के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है।

१५. योजना से प्रस्तावित प्राथमिक चिकित्सा/अस्पताल/मेडिकल कालेज आदि से जनित बायोमेडिकल वेस्ट का पृथक्करण, उपचार आदि व्यवस्था बायोमेडिकल रूल्स के अनुसार किया जाये अथवा उक्त वेस्ट को प्राधिकृत संयुक्त बायोमेडिकल वेस्ट उपचार फैसिलिटी को बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स, १९९८ के अनुसार भेजे।

१६. बैंक गारण्टी की शर्तों का अनुपालन न करने की दशा में प्रेषित बैंक गारण्टी बोर्ड के पक्ष में अवमुक्त करा ली जायेगी एवं अधिनियमों के तहत कार्यवाही भी की जा सकती है।

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों का

करने पर बोर्ड द्वारा निर्गमित अनापत्ति



की शर्तों में संशोधन किया जाय अथवा निरस्त कर दिया जाय। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है कि अनापत्ति द्वारा इस कार्यालय में दिनांक तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित की जाए।

अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जाए अन्यथा अनापत्ति निरस्त कर दी जाएगी।

भवदीय

सदस्य सचिव

पृष्ठांकन सं

/ एन. ओ. सी.

तद दिनांक

प्रतिलिपि :

1. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र
गौतमपुरा नगर
2. उपकर अधिकारी, उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड :

नोट